

FILED  
20/8/2016

197

न्यायालय श्रीमान् महोदय महोदय राजस्व मंडल म.पु. ग्वालियर

दिनांक 29/12-1-16

30816  
B.C.A. ...  
...

01 AUG 2016

1. प्रभु तनय डिल्ला बसौर
  2. रमेश तनय डिल्ला बसौर
  3. शीला पतिन रमेश बसौर
  - गुड्डी पतिन प्रभु बसौर
- सभी निवासी ग्राम गोटेठ तह0 लिधौरा

जिला टीकमगढ़ म.पु.

... आवेदकगण

1। बनामा।

म.पु. शासन

... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.पु. भू राजस्व संहिता 1959  
 विरुद्ध अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के प्र0क0 14/स्व0निग0/13-14  
 में पारित आदेश दिनांक 02.06.2016 से दुखित होकर

मान्यवर महोदय,

आवेदकगणी की ओर से निम्नलिखित प्रार्थना है :-

1- यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि आवेदकगणी को ग्राम गोटेठ स्थित भूमि खसरा नंबर 808/3 रकबा 0.731 हे0 भूमि प्रभु एवं रमेश के नाम से पट्टा दिये जाने बावत विधिवत रूप से आवेदनपत्र 0 नायब तहसीलदार लिधौरा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जित आधार पर नायब तहसीलदार लिधौरा तह0 जतारा द्वारा अपने न्यायालय में रा.पु क्र. 165/अ-19वर्ष 97-98 दर्ज किया, तथा प्रकरण में विधिवत रूप से इस्तजार जारी किया गया निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति ना आने पर प्रकरण में पट्टवारी से रिपोर्ट ली गई एवं कब्जे के संदर्भ में साक्ष्य ली गई एवं काब्रता इत्यादि की जांच करते हुए उक्त भूमि का पट्टा दिनांक 29.06.98 को नायब तहसीलदार लिधौरा द्वारा विधिवत रूप से स्वीकृत किया गया, उक्त पट्टे के विरुद्ध कोई भी अपील या निगरानी ना होने के कारण उक्त आदेश अंतिम हो गया था, परंतु एक शिकायती

श्री XIN 03030410 XIN 03030410  
 XIN 03030410  
 ...  
 ...

78

27/06/16

Handwritten mark

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग.- 2972-एक/2016

जिला-टीकमगढ़

प्रभु व अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन


स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-01-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित । आवेदक अभिभाषक द्वारा अपर कलेक्टर, जिला-टीकमगढ़ के क्रमांक 14/स्व.निग./2013-14 में पारित आदेश दिनांक <del>02-06-2016</del> <sup>02-06-2016</sup> के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 30-08-2016 को मुख्यालय ग्वालियर में पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार -</p> <p>“1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।”</p> <p>4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त हैं । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय</p>	

में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर के न्यायालय में भेजा जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

  
(आर.के. जैन) 11.01.19  
सदस्य